AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND ON EXEMPTION FROM VISA REQUIREMENT FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC PASSPORTS

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND

Hereafter referred to singularly as the "Party" and collectively as the "Parties"

CONSIDERING the interest of both countries to strengthen their friendly relations, and

DESIRING to facilitate the entry of the citizens of the Republic of India and the citizens of the Republic of Finland

Who are holders of diplomatic passports into their respective countries,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Visa Exemption

1. The nationals of the State of one Party, holding valid diplomatic passports and not accredited in the territory of the State of the other Party shall be exempted from visa requirements to enter, transit, stay or exit the territory of the State of the other Party for a period not exceeding 90 (ninety) calendar days during 180 (one hundred eighty) calendar days from the date of the first entry to the territory of the state of the other Party.

ARTICLE 2

Visas for Assignments

2. The nationals of the State of one Party, holding valid diplomatic passports, who are the members of the diplomatic missions and consular offices or international organizations on the territory of the State of the other Party, as well as their family members who live with them in the same household, shall be required to obtain a visa prior to entry into the territory of the State of the other Party.

ARTICLE 3

Applicability of Local/National Laws

3. The nationals of the State of one Party, holding valid diplomatic passports, during their stay on the territory of the State of the other Party are obliged to abide by the rules and regulations currently in force in the State of that Party, without prejudice to provisions of Vienna Convention on diplomatic relations of 1961 and the Vienna Convention on consular relations of 1963.

ARTICLE 4

Passports Validity

4. The validity of diplomatic passports of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months on the date of entry into the territory of other Party.

ARTICLE 5

Travel Documents

5. The Parties shall exchange specimens of valid diplomatic passports through diplomatic channels not later than 30 (thirty) calendar days before the entry into force of this Agreement.

6. In case of modification of diplomatic passports the Parties shall convey to each other, through diplomatic channels, specimens of new diplomatic passports not later than 30 (thirty) calendar days before their entry into force.

ARTICLE 6

Suspension

7. Each Party, for reasons of security and public order, reserves the right to refuse entry, reduce or terminate the stay of a national whose stay is considered undesirable by the host State, as well as temporarily suspend this Agreement in whole or partly.

8. The other Party shall be informed on the suspension of the implementation of this Agreement and the nullification of a suspension decision, through diplomatic channels not later than 72 (seventy-two) hours before the entry into force of such a decision.

9. Such suspension shall not affect legal provisions of nationals, holders of valid diplomatic passports, staying on the territory of the State of the other Party.

ARTICLE 7

Revision and Amendments

10. This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties, by writing and through diplomatic channels.

ARTICLE 8

Dispute Settlement

11. Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties.

ARTICLE 9

Entry Into Force, Duration And Termination

12. This Agreement is concluded for an indefinite period and terminates its effect by the end of 3 (three) months from the date of receipt through diplomatic channels by one Party a written notice of the other Party on intention to terminating the Agreement.

13. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) calendar days, that is December 5, 2017, after receipt of the last written notification, through diplomatic channels, by which one Party informs the other Party of the completion of internal juridical procedures required for that purpose.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE at Helsinki on this 06 day of November in the year two thousand seventeen in two (2) originals; in Hindi, English, Finnish and Swedish languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA FINLAND

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF

Smt. Vani Rao Ambassador of India

Shri Peter Stenlur Secretary of State

भारत गणराज्य की सरकार तथा फिनलैंड गणराज्य की सरकार के बीच राजनयिक तथा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षाओं से छूट के संबंध में करार।

भारत गणराज्य की सरकार और फिनलैंड गणराज्य की सरकार,

जिन्हें इसके बाद पृथक रूप से " पक्षकार" और सामूहिक रूप से "दोनों पक्षकार" कहा गया है,

इस पर विचार करते हुए कि मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ बनाया जाना दोनों देशों के हित में होगा,

भारत गणराज्य और फिनलैंड गणराज्य के नागरिकों, जो राजनयिक पासपोर्ट धारक हों, के संबंधित देशों के भू-क्षेत्र में प्रवेश को सुविधाजनक बनाने की इच्छा से, निम्नानुसार सहमत हुई हैं:

अन्च्छेद-1

वीजा अपेक्षाओं से छुट

 किसी पक्षकार राष्ट्र के नागरिकोंजिनके पास वैध राजनायिक पासपोर्ट हैं लेकिन को अन्य ,अन्य पक्षकार राष्ट्र के क्षेत्र में अधिकृत नहीं है पक्षकार राष्ट्र के क्षेत्र में प्रथम प्रवेश की तिथि से) 180एक सौ अस्सीकैलेन्डर दिवसों के दौरान () 90 अधिकतमनब्बेकैलेन्डर दिवसों की अवधि तक अन्य पक्षकार राष्ट्र के क्षेत्र (प्रवास या प्रस्थान करने संबंधी वीजा अपेक्षाओं से छूट प्राप्त ,पारगमन ,में प्रवेश होगी।

अनुच्छेद -2

विनिर्दिष्ट कार्य के लिए वीजा

2. किसी पक्षकार राष्ट्र के नागरिकों, जिनके पास वैध राजनायिक पासपोर्ट हैं, जो राजनयिक मिशनों और कौंसुल कार्यालयों या अन्य पक्षकार राष्ट्र के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं, और उनके साथ एक ही घर में रहने वाले परिजनों को अन्य पक्षकार राष्ट्र के क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व वीजा प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

अनुच्छेद-3

राष्ट्रीय कानूनों की अनुप्रयोज्यता

3. किसी पक्षकार राष्ट्र के नागरिकों, जिनके पास वैध राजनायिक पासपोर्ट हैं, को अन्य पक्षकार राष्ट्र के क्षेत्र में अपने प्रवास के दौरान राजनयिक संबंध विषयक वर्ष 1961 के वियना अभिसमय और कौंसुली संबंध विषयक वर्ष 1963 के वियना अभिसमय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाल बिना उस पक्षकार राष्ट्र में प्रचलित नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।

अन्च्छेद-4

पासपोर्ट वैधता

 प्रत्येक पक्षकार राष्ट्र के नागरिकों के राजनयिक पासपोर्टों की शेष वैधता अवधि अन्य पक्षकार के क्षेत्र में प्रवेश की तिथि को कम से कम 6 (छः) माह की होगी।

अनुच्छेद-5

यात्रा दस्तावेज

 इस करार के लागू होने के कम-से-कम 30 (तीस) कैलेन्डर दिवस पूर्व दोनों पक्षकार राजनयिक माध्यमों के जरिए वैध राजनयिक पासपोर्टों के नमूनों का आदान-प्रदान करेंगे।

राजनयिक पासपोर्टों में परिवर्तन के मामले में उनके लागू होने से कम-से-कम 30 (तीस) कलेन्डर दिवस में दोनों पक्षकार नए राजनयिक पासपोर्टों के नमूनों के बारे में राजनयिक माध्यमों के जरिए एक-दूसरे को सूचित करेंगे।

अन्च्छेद-6

निलंबन

 सुरक्षा और लोक व्यवस्था संबंधी कारणों से मेजबान राष्ट्र में अवांछित समझे जाने वाले नागरिकों को प्रवेश की अनुमति से इंकार करने या प्रवास में कमी करने या निरस्त करने और इस करार को पूर्णतः या आंशिक तौर पर अस्थायी रूप से स्थगित करने का अधिकार प्रत्येक पक्षकार के पास सुरक्षित रहेगा।

करार के कार्यान्वयन के स्थगिन पर और स्थगन निर्णय के रद्द होने पर अन्य पक्षकार को निर्णय के लागू होने से कम-से-कम 72 (बहत्तर) घंटे पूर्व राजनायिक माध्यमों से सूचित किया जाएगा।

ऐसे स्थगन से अन्य पक्षकार राष्ट्र के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों, वैध राजनयिक पासपोर्टधारकों के विधिक प्रावधान प्रभावित नहीं होंगे।

अन्च्छेद-7

समीक्षा और संशोधन

 इस करार में पक्षकारों की आपसी सहमति तथा राजनयिक माध्यमों द्वारा लिखित में इसकी सूचना देकर संशोधन किया जा सकता है।

अन्च्छेद-8

विवादों का निपटान

8. इस करार के प्रावधानों की विवेचना या कार्यान्वयन के क्रम में उत्पन्न मतभेदों या विवादों को दोनों पक्षकारों के बीच परामर्श या आपसी बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जाएगा।

अन्च्छेद-9

इस करार को लागू किया जाना, समयावधि तथा समापन

9. यह करार अनिश्चित अवधि के लिए निष्पन्न किया गया है और किसी एक पक्षकार द्वारा राजनयिक माध्यमों से अवसान के आशय का नोटिस दूसरे पक्षकार को प्राप्त होने के 3 माह के बाद यह निष्प्रभावी हो जाएगा।

यह करार हस्ताक्षर के ३० दिनों के बाद यानी कि ०५ दिसंबर २०१७ को लागू हो जायेगा। इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत होकर इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

०६ नवंबर २०१७ को हेलसिंकी में हिंदी, अंग्रेजी, फिनिश और स्वीडिश भाषा की दो-दो मूल प्रतियों में सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक निर्वचन में किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

फिनलैंड गणराज्य की सरकार की ओर से

Jami.

श्रीमती वाणी राव भारत के राजदूत

श्री पीटर स्टेंलुण्ड

त्री पोटर स्टलुण्ड सेक्रेट्री ऑफ स्टेट